



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1941 (श0)

(सं0 पटना 1263) पटना, शुक्रवार, 15 नवम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 नवम्बर 2019

सं० 02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि०-8374--मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के परन्तुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, जिसमें फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु विलम्ब फीस निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	संशोधित अवधारित फीस
1	दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन	10 रु० प्रति दिन
2	व्यावसायिक ट्रैक्टर	15 रु० प्रति दिन
3	छोटे चार पहिया परिवहन वाहन	20 रु० प्रति दिन
4	भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन	30 रु० प्रति दिन

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से सिर्फ 90 दिनों के लिए ही प्रभावी होगा एवं इसका लाभ वे वाहन ही उठा सकेंगे, जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस प्रमादी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 15th November 2019

No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012 Trans -8374--In exercise of the powers conferred by proviso of section-211 of Motor Vehicle Act, 1988 and note specified in column-03 of serial number-11 of table of proviso of rule-81 of Motor Vehicle Rules, 1989,

the additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of certificate of fitness, is here by decreased and fixed for 90 days according to the following table :-

Sl.No.	Types of Vehicles	Revised fixed fee
1	Two wheeler and Three wheeler Transport Vehicle	Rs. 10 per day
2	Commercial Tractor	Rs. 15 per day
3	Small four wheeler Transport Vehicle	Rs. 20 per day
4	Heavy Commercial Transport Vehicle/Other Vehicle	Rs. 30 per day

2. This notification shall have its effect only for 90 days from the date of its publication in the Bihar Gazette and only those vehicles would avail its benefit which would be fitness fee defaulter till the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1263-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0..... पटना, दिनांक-.....

मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के परन्तुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, जिसमें फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु विलम्ब फीस निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	संशोधित अवधारित फीस
1	दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन	10 रु० प्रति दिन
2	व्यावसायिक ट्रैक्टर	15 रु० प्रति दिन
3	छोटे चार पहिया परिवहन वाहन	20 रु० प्रति दिन
4	भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन	30 रु० प्रति दिन

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से सिर्फ 90 दिनों के लिए ही प्रभावी होगा एवं इसका लाभ वे वाहन ही उठा सकेंगे, जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस प्रमादी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0....., पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, क्ति विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0....., पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, क्ति विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0....., पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0⁸³⁷⁴ पटना, दिनांक- 15/11/19

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन/मैपिंग करने की कृपा की जाय।

* liay
14/11
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0..... पटना, दिनांक-.....

मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के परन्तुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, जिसमें फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु विलम्ब फीस निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	संशोधित अवधारित फीस
1	दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन	10 रु० प्रति दिन
2	व्यावसायिक ट्रैक्टर	15 रु० प्रति दिन
3	छोटे चार पहिया परिवहन वाहन	20 रु० प्रति दिन
4	भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन	30 रु० प्रति दिन

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से सिर्फ 90 दिनों के लिए ही प्रभावी होगा एवं इसका लाभ वे वाहन ही उठा सकेंगे, जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस प्रमादी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0....., पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, क्ति विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.8374 पटना, दिनांक-15/11/19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, क्ति विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0..... पटना, दिनांक-.....

मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के परन्तुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, जिसमें फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु विलम्ब फीस निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	संशोधित अवधारित फीस
1	दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन	10 रु० प्रति दिन
2	व्यावसायिक ट्रैक्टर	15 रु० प्रति दिन
3	छोटे चार पहिया परिवहन वाहन	20 रु० प्रति दिन
4	भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन	30 रु० प्रति दिन

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से सिर्फ 90 दिनों के लिए ही प्रभावी होगा एवं इसका लाभ वे वाहन ही उठा सकेंगे, जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस प्रमादी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0....., पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, क्ति विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0....., पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, क्ति विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

h

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि083.74 पटना, दिनांक-15/11/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

x Li ay
14/11
सरकार के सचिव

Government of Bihar
Transport Department

Notification

No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-8374

patna, dated... 5/11/19

In exercise of the powers conferred by proviso of section-211 of Motor Vehicle Act, 1988 and note specified in column-03 of serial number-11 of table of proviso of rule-81 of Motor Vehicle Rules, 1989, the additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of certificate of fitness, is here by decreased and fixed for 90 days according to the following table :-

Sl.No.	Types of Vehicles	Revised fixed fee
1	Two wheeler and Three wheeler Transport Vehicle	Rs. 10 per day
2	Commercial Tractor	Rs. 15 per day
3	Small four wheeler Transport Vehicle	Rs. 20 per day
4	Heavy Commercial Transport Vehicle/Other Vehicle	Rs. 30 per day

2. This notification shall have its effect only for 90 days from the date of its publication in the Bihar Gazette and only those vehicles would avail its benefit which would be fitness fee defaulter till the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,

x
Sanjay
Sanjay kumar Agarwal,
Secretary to the Government.